BSES

बिजली चोरी के मामले निपटाने के लिए "लोक अदालत"

14 व 15 को होगा आयोजन : 5 लाख रूपये तक के मामले सुलझाए जाएंगे

- *दिल्ली हाई कोर्ट कानूनी सेवा समिति* के सहयोग से बीएसईएस लगाएगी लोक अदालत
- 14 व 15 मार्च को हाई कोर्ट परिसर में होगा आयोजन
- उपभोक्ताओं की मदद के लिए 4 हेल्प डेस्क होंगी, दो कैश काउंटर भी होंगे
- 25 हजार उपभोक्ताओं को भेजे गए पत्र

नई दिल्ली: 9 मार्च, 2009। बीएसईएस राजधानी और बीएसईएस यमुना के उपभोक्ताओं के बिजली चोरी संबंधी मामलों को निपटाने के लिए विशेष *लोक अदालत* का आयोजन किया जा रहा है। इस का आयोजन 14 व 15 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट परिसर में होगा। *दिल्ली हाई कोर्ट कानूनी सेवा समिति* के सहयोग से लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इस अदालत में उपभोक्ताओं के बिजली चोरी से संबंधित मामलों का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा। कटिया डालकर की जाने वाली चोरी और मीटर के साथ छेड़छाड़ कर की जाने वाली बिजली चोरी– दोनों तरह के मामलों का यहां निपटारा होगा।

लोक अदालत में 5 लाख रूपये तक की बिजली चोरी के मामले सुलझाए जाएंगे। मामले का निपटारा होने के बाद, उपभोक्ता चाहें तो, अपने बिल का भुगतान वहीं कर सकते हैं या फिर पांच दिनों के भीतर बीएसईएस एन्फोर्समेंट ऑफिस में भी भुगतान किया जा सकता है। गौरतलब है कि वहां बीएसईएस के दो कैश काउंटर होंगे।

बिजली चोरी के जो मामले किसी अदालत में नहीं चल रहे हैं, उन्हें तो यहां निपटाया ही जाएगा, साथ ही ऐसे मामलों को भी सुलझाया जाएगा, जो अन्य अदालतों में लंबित पड़े हैं और जिनका निपटारा अभी तक नहीं हुआ है। लोक अदालत 14 व 15 मार्च को हाई कोर्ट परिसर में, सुबह 10 बजे शुरू होगी। अपने मामले सुलझाने के इच्छुक उपभोक्ताओं से अपील की जाती है कि वे या तो व्यक्तिगत रूप से लोक अदालत में उपस्थित हों, या फिर अपने वकील या अधिकृत प्रतिनिधि को भी वहां भेजा सकता है। अपने पहचान पत्र और बिल की कॉपी लाना आवश्यक है।

बीएसईएस के सीईओ श्री अरूण कंचन ने कहा कि, हमें उम्मीद है कि वहां अच्छी संख्या में उपभोक्ता अपने मामलों के निपटारे के लिए पहुंचेंगे। करीब 25 हजार उपभोक्ताओं को इस संबंध में पत्र भेज कर अनुरोध किया जा चुका है। मामलों को तेजी से निपटाने के लिए हमने खास इंतजाम किए हैं। यह पूरी तरह से एक पेपरलेस (कागजविहीन) लोक अदालत होगी और फाइलें इधर से उधर नहीं करनी पड़ेंगी। बीएसईएस ऐसे सॉफ्टवेयर मॉड्यूल की सहायता ले रही है, जो माउस के महज एक क्लिक पर उपभोक्ताओं का सारा डेटा कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध करा देगा।

ताकि उपभोक्ताओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए खास व्यवस्था होगी। वहां 4 स्पेशल हेल्प डेस्क होंगी, जो उपभोक्ताओं को गाइड करेंगी और उन्हें जानकारियां उपलब्ध कराएंगी।

विशेष लोक अदालत उपभोक्ताओं को जहां एक ओर मौके पर ही अपने बिजली चोरी संबंधी मामले व विवाद को निपटाने के लिए एक सशक्त मंच उपलब्ध कराएगी, वहीं दूसरी ओर, इससे बिजली चोरी पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी और अधिक से अधिक उपभोक्ता बिलिंग नेट में आएंगे। बीएसईएस ने अपने उपभोक्ताओं से अपील की है वे अधिक से अधिक संख्या में हाई कोर्ट परिसर में पहुंचे और मामलों का निपटारा करवाएं।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: प्रशान्त दुआ
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999870 / 9312007822

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999642 / 9350130304